अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

RTI / Speed Post

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/24/2013-14

1 जुलाई, 2013

सेवा में,
श्री चेतन चावला
लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
वन विज्ञान भवन, सेक्टर-5,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री फरीद हुसैन, 453 हुसैन बाग किला, बरेली--243003, उत्तर प्रदेश का दिनांक 24 जून 2013 का पत्र दिनांक 28 जून 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रु. का पो.आ. संख्या 19एफ 001564 संलग्न कर अपने आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय वस्तु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री फरीद हुसैन, 453 हुसैन बाग किला, बरेली--243003, उत्तर प्रदेश -कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त सी पी आई ओ से संपर्क करें।
2. श्रीयुत वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक, डाकघर, बरेली डिवीजन, बरेली उत्तर प्रदेश सूचनार्थ।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

O/C

माध्यम से. प्रवर अधीक्षक डाकघर बरेली.२४३००१

सेवा में

मा० केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी.

आर.टी. आई.एक्ट २००५

उप राष्ट्रपति सचिवालय.

६, मौलाना आजाद रोड,

नई दिल्ली.११००११

प्रवर अधीक्षक डाकघर
बरेली मण्डल बरेली-243001
24 JUN 2013
Sr. Supdt. of Post Offices
Bareilly Division, Bareilly-243001

विषय.सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ७ के अधीन सर्वोच्च प्राथमिकता जीवन सम्बन्धी सूचनाएं ४८ घण्टें में प्रदान किये जाने के संदर्भ में।

प्रिय महोदय. बरेली दिनांक २४/०६/२०१३

निवेदन है कि प्रार्थी फरीद हुसैन को उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निम्न सूचनाएं ४८घण्टें में प्रदान करानें का कष्ट करें। निर्धारित शुल्क रु०१० मात्र का पोस्टल आर्डर स०१८ एफ ००१५६४ मूल रुप में संलग्न है।

प्रार्थी फरीद हुसैन ने दिंनाक १८/०६/०१३ को महामहिम उप राष्ट्रपति जी को एक प्रार्थना पत्र {प्रति संलग्न} मुहल्ला हुसैन बाग बरेली में नगर निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अल्पसंख्यको के क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से कूड़ा/ कचरा डलवाने से फलने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगवाने के लिए भारत सरकार के कानून मंत्रालय के माध्यम से प्रार्थी की ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जनहित याचिका दायर करवाने के संदर्भ में भेजा था उल्लेखनीय है कि पर्यावरण से जुडे इस प्रकरण में महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय अपनी विशेष न्यायिक शक्तियों का उपयोग करके भारत सरकार के कानून मंत्रालय के माध्यम से प्रार्थी की ओर से मा० सर्वोच्च न्यायालय अथवा नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वन विज्ञान भवन सैक्टर वी.आर.के. पुरम नई दिल्ली ११००२२ में जन हित याचिका दायर करवाकर मुहल्ला हुसैन बाग में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को न्याय प्रदान करवा सकते हैं भारतीय संविधान में महामहिम को ऐसा करने का पर्याप्त अधिकार है राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल अधिनियम २०१० को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा २ जून २०१० को मंजूरी प्रदान की गई थी जिसके तहत नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है यह पर्यावरण से जुड़े नागरिक मामलों की तीव्र सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत है क्योंकि आपके सचिवालय के माध्यम से कई बार निर्देश जारी किये जाने के बाद भी प्रदेश सरकार के

माध्यम से प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के कारण अब जनहित में न्यायोचित कार्यवाही करवाने के लिए पर्यावरण से जुड़े इस प्रकरण को महामहिम राष्ट्रपति व भारत सरकार द्वारा स्थापित मा० नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के न्यायालय में यह प्रकरण स्थानांनतरित किया जाना ही अन्तिम विकल्प है इसलिए आप कृपया प्रार्थी को निम्नलिखित सूचनाएं जो मुहल्ला हुसैन बाग में रहने वाले नागरिकों के जीवन की रक्षा से सम्बन्धित हैं यह प्रार्थना पत्र प्रप्ति के पश्चात ४८ घण्टें में प्रेषित करवाने का कष्ट करें। अति कृपा होगी।

{१}प्रार्थी के संलग्न प्रार्थना पत्र पर न्यायोचित कार्यवाही करवाने के लिए महामहिम के माध्यम से प्रार्थी का प्रर्थना पत्र मा० नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वन विज्ञान भवन सैक्टर वी. आर.के. पुरम नई दिल्ली को आवश्यक विधिक कार्यवाही करवाने के लिए अग्रसारित किया गया है या नहीं बताने की कृपा करें।

{२}यदि संलग्न पत्र अभी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अग्रसारित नहीं किया गया है तो मामले की गम्भीरता को देखते हुए महामहिम के माध्यम से इसे ट्रिब्यूनल को कब तक अग्रसारित किया जाएगा बताने का कष्ट करें।

प्रार्थी
Fareed
फरीद हुसैन

४५३.हुसैन बाग.

जिला.बरेली. २४३००३
1-18-9.5-2-9